ANNEXURE - IV

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1997/माघ 15, 1918
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 1997/MAGHA 15, 1918

indiacode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 79 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 892 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 1989 को अधिक्रान्त करते हुए, किन्तु उक्त कार्यों के सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी रूप में कीटनाशी परामर्श समिति का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात:—

1.	डा० ई० ऐ० सिद्दीक उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	भारत का औषध नियंत्रक नई दिल्ली।	सदस्य
3.	वनस्पति संरक्षण सलाहकार भारत सरकार	सदस्य
4.	डा० ऐ०के० रहेजा सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य

अध्यक्ष यह पद तब तक धारण करेगा जब तक वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) का पद धारण करता है ।

[फा. सं. 19-4/95-पी.पी. I]

अनिल मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1997

S.O. 79(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 892(E) dated, the 31st October, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Registration Committee consisting of the following persons with effect from the date of publication of this notification, namely:—

1.	Dr. P.A. Sidiq, Deputy Director General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	Chairman
2.	Drugs Controller of India, New Delhi.	Member
3.	Plant Protection Adviser to the Government of India.	Member
4.	Dr. A.K. Raheja, Assistant Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	Member

2. The Chairman shall hold office for so long as he holds the post of Deputy Director General (Crop Sciences) in the Indian Council of Agricultural Research.

[File No. 19-4/95-PP.I]
Anil Sinha, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1997